



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय



शांति मार्ग श्यामला हिल्स भोपाल

Website: www.bsgmp.net mail: scoutguide_bpl@dataone phone 2661263, fax: 2737446

क्रमांक/11081/रा.मु./पंजीयन/2014
प्रति

भोपाल दिनांक 8.9.14

जिला शिक्षा अधिकारी
पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट)
जिला उमरिया म.प्र.

विषय- पंजीयन/कोटामनी/अंशदान की लक्ष्य-पूर्ति न करने पर जिला संघ की मान्यता समाप्त करने विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले का राज्य मुख्यालय भोपाल द्वारा निर्धारित दल पंजीयन राशि वर्ष 2009-2010, 2010-2011 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014 की पंजीयन कोटामनी, अंशदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसका विवरण निम्नानुसार है

वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति	शेष राशि
2009-2010	84186.00	65000.00	-19186.00
2010-2011	63312.00	20000.00	-43312.00
2011-2012	52728.00	68556.00	15828.00
2012-2013	57734.00	34693.00	-23041.00
2013-2014	63806.00	0	-63806.00
कुल राशि	3,21,766.00	1,88,259.00	1,49,345.00

उपरोक्त अनुसार पंजीयन राशि एवं सेंसस सहित शीघ्र भेजे। यदि आपके द्वारा लक्ष्य के आधार पर उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति दिनांक/30/09/2014 तक नहीं की जाती है, जिला संघ को भंग कर प्रशासक नियुक्ति किया जावेगा एवं भविष्य में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जम्बूरी राज्य स्तरीय कार्यक्रम से आपके जिले के स्काउट/गाइड गतिविधियों से वंचित कर दिया जावेगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि निर्धारित समय सीमा में राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा आपके जिले को निर्धारित लक्ष्य-पूर्ति निर्धारित समय सीमा में भिजवाना सुनिश्चित करें।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
भोपाल दिनांक/ 8.9.14

पृ.क्रमांक/11082/रा.मु./पंजीयन/2014

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- जिला कलेक्टर जिला उमरिया म.प्र.
- 02- मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला उमरिया म.प्र.
- 03- समस्त सयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय शहडोल म.प्र. भेजकर अनुरोध है कि तदाशय के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को देने का कष्ट करे।
- 04- सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) संभागीय कार्यालय शहडोल म.प्र. की ओर पत्र भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों की पंजीयन राशि जिलों से सम्पर्क कर तत्काल राज्य मुख्यालय भोपाल को भेजना सुनिश्चित करे।
- 05- जिला संगठन आयुक्त (स्का./गा.) जिला संघ उमरिया म.प्र. की ओर पत्र भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले की उपरोक्त वर्षों की लम्बित राशि शीघ्र राज्य मुख्यालय भोपाल भेजना सुनिश्चित करे।
- 06- जिला सचिव जिला उमरिया की ओर पत्र भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप शीघ्र पंजीयन राशि भेजे।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.